## कांट्रेक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर

#### Contract Medical Practitioners

संविदा के आधार पर मेडिकल प्रैक्टिशनर का नियोजन – रेलवे बोर्ड दि. 15/01/99 के पत्र सं. 96/ई (जीआर)II/ 9/16, 8/3/2001, 1/3/2002, 21/8/2003, 12/3/2003 और दिनांक 16.10.2008 के पत्र सं. 2007/ई(जीआर)II / 1/1 में समाविष्ट विस्तृत अनुदेशों/दिशानिर्देशों के आंशिक संशोधन में जारी उप निदेशक/स्थापना(राज)/रेलवे बोर्ड के दिनांक:3.2.2012 के पत्र सं. 2011/ई(जीआर)II/1/1 के अनुसार रेल मंत्रालय ने अब निर्णय लिया है कि कांट्रेक्ट मेडिकल प्रैक्टिशनरों की एक-एक वर्ष की 7 बार नियोजन की वर्तमान सीमा को एक और वर्ष की अविध के लिए बढाया जा सकता है.

Engagement of Medical Practitioner on Contract basis -- Vide Dy.Director/Estt.(Gaz)/Rly.Board's letter No.2011/E(GR)II/1/1 dt:3.2.2012, in partial modification of detailed instructions / guidelines contained in Rly.Board's lr.No.96/E(GR)II/9/16 dated 15/1/99, 8/3/2001, 1/3/2002, 21/8/2003, 12/3/2008 and No.2007/E(GR)II/1/1 dated 16.10.2008, Ministry of Railways have now decidedthat the 'present limit of 7 terms of engagement of one year each of CMPs be extended by another term of one year'.

## पूर्णकालिक आधार पर मेडिकल प्रैक्टिशनरों की संविदा से संबंधित निबंधन और शर्तें Terms and conditions for entering into contract withMedical Practitioners on Full-Time basis

- संविदा एक वर्ष या संविदा की तिथि से कम समय के लिए प्रदान की जाएगी. संविदा अविध को किसी भी कारण से बढ़ाया नहीं जाएगा. तथापि, रेल प्रशासन को मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ एक और टर्म के लिए नई संविदा करने का अधिकार है.
  - The contract shall be entered into for one year or less from the date of entering into the contract. Period of contract is not extendable on any grounds. However, the Railway administration shall reserve the right to enter into fresh contract with the Medical Practitioner for another term.
- 2. पूर्णकालिक संविदा मेडिकल प्रैक्टिशनर (आगे से सीएमपी के रूप में उल्लिखित है), जो रेलवे के साथ संविदा में प्रवेश करता है, वह सेवा में अपनी निरंतरता बनाए रखने या संविदा की अविध को अपने आप बढ़ाने हेतु कोई दावा नहीं कर सकता/ कोई अधिकार नहीं रखता.
  - The full-time contracted Medical Practitioner (hereinafter referred to as CMP), who enters into contract with the railways will not have any claim or right for his / her continuity in service or automatic extension of the term of contract.
- 3. संविदा की वैधता के दौरान, सीएमपी अपनी बेहतर करियर के लिए या किसी अन्य कारण से रेलवे को 15 दिन का नोटिस देते हुए संविदा को समाप्त कर सकता है. रेलवे द्वारा संविदा के दौरान किसी भी समय बिना कोई कारण बताए 15 दिन के नोटिस पर संविदा को समाप्त किया जा सकता है. सीएमपी को मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाए जाने पर भी संविदा को समाप्त किया जा सकता है. During the validity of the contract, the CMP will be at liberty to terminate the contract for
  - During the validity of the contract, the CMP will be at liberty to terminate the contract for betterment of his / her career or on any other grounds by giving 15 days notice to the Railways. The contract can also be terminated by the Railways at any time during the contract by giving 15 days notice without assigning any reasons whatsoever. Contract shall also be terminated, if the CMP is found to be mentally or physically incapacitated.
- संविदा में शामिल होने से पहले सीएमपी को सौंपे गए कार्य से संबंधित उसके फिटनेस का चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा.
  - The CMP shall undergo a medical examination, before the contract is entered into, for his / her fitness to perform the work awarded to him / her.
- 5. संविदा में प्रवेश करते के समय, सीएमपी को केंद्र/राज्य सरकार के दो राजपत्रित अधिकारियों से अपने

चरित्र और पूर्ववृत्त का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

At the time of entering into contract, the CMP shall produce certificates of his / her characterand antecedents from two gazetted officers of the Central / State Government.

6. संविदा में प्रवेश करते समय, सीएमपी को अपनी जन्मतिथि और शैक्षिक योग्यता प्रमाण में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.

At the time of entering into contract, the CMP shall produce original certificates for proof of his/ her date of birth and educational qualifications.

- 7. सीएमपी को दो सप्ताह की अवधि के लिए संक्षिप्त ओरिएंटेशन प्राप्त करना होगा. The CMP shall have to undergo a brief orientation for a period of two weeks.
- 8. सामान्यतः रिववार और राष्ट्रीय अवकाश आफ होंगे. इसके अलावा शर्तों का उल्लंघन न करते हुए प्रित माह दो दिन की दर से सीएमपी द्वारा अर्जित सीमा तक संविदा के दौरान किसी भी समय प्राधिकृत अनुपस्थित का लाभ उठाने की अनुमित है.

Normally, Sundays and National Holidays will be off and in addition, authorized absence without detriment to the terms shall be allowed at the rate of two days per month to be availed any time during the contract to the extent earned by the CMP till such time.

- ए. बशर्ते कि निबंधन और शर्तों के खंड 14 और 15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर यह सुविधा सीएमपी को दी जाएगी. अवकाश/राष्ट्रीय अवकाश पर अपना कार्यस्थल छोड़ने वाले सीएमपी को अपने नियंत्रण प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी.
- a. Provided this facility shall be available to the CMP subject to fulfillment of conditions stipulated in clause 14 and 15 of the terms and conditions. Any CMP leaving his place of work on leave of absence / National Holidays should get prior permission of the controlling authority.
- 9. संविदा कार्यों से जुड़ी बाहरी यात्राओं का खर्च रेलवे द्वारा वहन किया जाएगा. जिस मंडल मुख्यालय के स्वास्थ्य यूनिट में सीएमपी सेवा प्रदान करता है, उस यूनिट के लाइन क्षेत्राधिकार में यात्रा के लिए रेलवे द्वारा ड्यूटी पास जारी किए जाएंगे और संविदा मेडिकल प्रैक्टिशनरों को ऐसी यात्राओं के दौरान प्रति दिन 400/-₹ (चार सौ रुपये मात्र) के निश्चित दैनिक भत्ते का भुगतान किया जाएगा. बशर्ते कि आईआरईसी खंड II में निर्धारित दैनिक भत्ते से संबंधित अन्य प्रावधानों को पूरा किया जाता हो.

Expenses on outstation journeys connected with the contracted works will be borne by the Railways. Duty passes will be issued by the Railways for the purpose of Rurney in the line jurisdiction of the Health Unit where the CMP renders service and to the Divisional Headquarters and the Contract Medical Practitioner will be paid a fixed rate of Daily Allonwance, i.e., 400/- (Rupees four hundred only) per day during such journeys. This will be subject to fulfillment of other provisions pertaining to Daily Allowance prescribed in IREC Vol.II.

10. सीएमपी का मासिक शुल्क और यदि सीएमपी संविदा में निर्धारित अविध से अधिक समय तक अनुपस्थित रहता है तो उस शुल्क से दैनिक आनुपातिक कटौती का दर निम्नानुसार लागू होगा:

The monthly fee for CMPs and the daily rate of proportionate reduction from the fee, in the event the CMP absents himself / herself for periods exceeding those stipulated in the contract, areat the following rates:

सीएमपी की श्रेणी	Monthly fee	रेलवे बोर्ड के दिनांक:12.3.2014 का पत्र.सं.
Category of CMP		के 2014/ई(जीआर)II/1/1 के अनुसार
सामान्य ड्यूटी	₹.55,000/-	पारिश्रमिक की संशोधित दर
General Duty		Revised rate of remuneration vide
विशिष्ट सेवाएं	₹.65,000/-	Rly.Board lr.No. 2014/E(GR)II/1/1
Specialised services		Dt:12.3.2014
सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं	₹.75,000/-	

Super-speciality services	

पूर्णकालिक सीएमपी को उपलब्धता के आधार पर अनफर्नइश्ड आवास प्रदान किया जा सकता है. यदि सीएमपी को रेलवे आवास प्रदान किया जाता है, तो उस आवास के एचआरए और लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि की काटौती सीएमपी को अनुमेय मासिक शुल्क से की जाएगी. उक्त विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक में मकान किराया भत्ते के रूप में ₹.5,250/₹.6,838 /₹.7,375 और परिवहन भत्ते के रूप में ₹.3,712/- की राशि शामिल होंगे. पूर्णकालिक संविदा डॉक्टरों के मामले में, जिनके लिए रेलवे आवास प्रदान किया जाता है, एचआरए (जैसा कि ऊपर बताया गया है) आवास के लाइसेंस शुल्क की राशि के बराबर राशि की कटौती संबंधित मेडिकल प्रैक्टिशनरों के मासिक पारिश्रमिक से की जाएगी.

Full-time CMPs may be provided unfurnished accommodation, subject to availability. Incase Railway accommodation is provided to the CMP, an amount equivalent to HRA and License Fee of the accommodation so provided shall be deducted from the monthly fee admissible to the CMP. The remuneration specified above includes the amount of 5,250 / 6,838 / 7,375 as House Rent Allowance and 3,712/- as transport allowance. In case of full-time contract doctors for whom railway accommodation is provided, an amount equivalent to the sum of HRA (as indicated above) and license fee of the accommodation so provided will be deducted from the monthly remuneration of the concerned medical practitioner.

11. सीएमपी को प्रत्येक संविदा के दौरान स्वयं और पिरवार के लिए एक सेट प्रथम श्रेणी मानार्थ पास दिया जाएगा. हालाँकि, पास तीन महीने की संविदागत नियमित सेवा प्रदान करने के बाद जारी किया जाएगा.

The CMP may be given one set of First Class complimentary pass for self and family during each contract. The pass, however, shall be issued after he / she renders three months of contracted service regularly.

12. सीएमपी भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली 2000 के पैरा 622 (8) में "विशेष" के रूप में वर्गीकृत ऑपरेशनों को छोड़कर केवल स्वयं के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार और संविदा अविध के दौरान संबंधित जोनल रेलवे अस्पताल से सुपर स्पेशियलिटी केंद्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध उपचार का लाभ उठा सकते है.

The CMP may avail of free medical treatment for self only except the operations categorized as "Special" in para 622 (8) of Indian Railway Medical Manual 2000 and treatment normally available at Super specialty centres from his / her respective zonal railway hospital during the currency of contract.

13. इन निबंधनों और शर्तों में जिन मामलों का उल्लेख नहीं किया गया है उनके बारे में रेलवे द्वारा समय-समय पर जारी आदेश/संशोधनों द्वारा सीएमपी को सूचना दी जाएगी.

The CMP shall be governed in respect of matters not referred to in these terms and conditions by any orders / amendments to the terms of contract issued by the Railways from time to time.

14. सीएमपी ऐसे सभी सामान्य कार्य करेगा, जिन्हें कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर पारंपरिक रूप से करता है. वह आपाती और दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों को भी देखेगा.

The CMP shall attend to all normal tasks, which any medical practitioner is conventionally doing. He / she will also attend to emergencies and accidents.

15. सीएमपी 7 दिनों तक की अविध के लिए बीमार/फिटनेस प्रमाणपत्र जारी कर सकता है, इससे अधिक अविध के लिए उसके द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर निकटतम अस्पताल/डिस्पेन्सरी/स्वास्थ्य यूनिट के नियमित रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाए.

The CMP shall issue sick / fitness certificates for a period upto 7 days, beyond which the certificate so issued by him / her should be countersigned by a regular Railway Medical Officer available at the nearest Hospital / Dispensary / Health Unit.

16. सीएमपी रोजगार-पूर्व या आविधक चिकित्सा जांच, ग्रुप 'सी' और 'डी' कर्मचारियों को छुट्टी की मंजूरी और खाद्य पदार्थों के लिए अनिफट प्रमाणीकरण आदि प्रशासिनक कार्य नहीं कर सकता है. तथापि सीएमपी ग्रुप 'सी' और 'डी' के कर्मचारियों को मांगने पर 3 दिन या उससे कम अविध के लिए आकस्मिक छुट्टी मंजूर कर सकता है.

The CMP shall not perform administrative work like pre-employment or periodical medical examinations, sanction of leave to Group 'C' and 'D' staff and certification with respect to food items considered unfit for human consumption, etc. However, the CMP shall be allowed to permit Group 'C' and 'D' staff Casual Leave, if sought, for 3 days or less at a stretch.

18. सीएमपी भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली (आईआरएमएम) 2000 के पैरा 559 से 564 तक उल्लिखित किसी भी प्रकार के चिकित्सा की सिफारिश नहीं करेगा, जिन्हें नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

The CMP shall not make medical recommendation of any kind referred to Paras 559 to 564 of Indian Railway Medical Manual (IRMM) 2000, **which are reproduced below:** 

- **559. चिकित्सा संबंधी सिफारिशों के प्रकार:** रेलवे डॉक्टरों द्वारा रेलवे कर्मचारियों को जारी की जाने वाली चिकित्सा संबंधी सिफारिशें निम्नानुसार हैं: -
- i. लाइट ड्यूटी/व्यवसाय में परिवर्तन से संबंधित सिफारिश,
- ii. चिकित्सा के आधार पर स्थानांतरण, स्थगन या स्थानांतरण रद्द करने से संबंधित सिफारिश और
- iii. बेहतर आवास हेतु रेलवे बंगला/कार्टर आवंटित करने से संबंधित सिफारिश

**Types of Medical recommendations:** The medical recommendations that are issued to the Railway employees by the Railway doctors comprise of the following:-

- i. Recommendation for light duty/change of occupation,
- ii. Recommendation for transfer, postponement or cancellation of transfer on medical grounds and
- iii. Recommendation for allotment of a Railway bungalow/quarter for better accommodation.
- 560. सिफारिश के लिए सक्षम प्राधिकारी: अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में उपरोक्त मद (i) से (iii) में विनिर्दिष्ट चिकित्सा सिफारिश मंडल चिकित्सा अधिकारी द्वारा सीधे सक्षम प्राधिकारी को की जाएंगी. राजपत्रित कर्मचारियों के मामले में यदि अविध छह महीने से अधिक हो तो जे.ए. ग्रेड तक मंडल के प्रभारी एस.ए.जी. चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्सा निदेशक को सिफारिश की जा सकती है. एस.ए.जी. और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के लिए सीएमडी/पीएचओडी सक्षम प्राधिकारी होंगे.

**Authority competent to make recommendations:** - Medical recommendations of the types referred to in item (i) to (iii) above will be made to the competent authority directly by the Divl. Medical Officer in the case of nongazetted staff. In the case of gazetted staff up to J.A. grade, the recommendations may be made by in charge S.A.G. medical officer of the division but should be forwarded to the Chief Medical Director, if the period exceeds six months. For recommendations for officers of the rank of S.A.G. and above, CMD/PHOD will be the competent authority.

561. (ए) लाइट ड्यूटी से संबंधित सिफारिश - (A) Recommendation for light duty –

यह सिफारिश रेलवे डॉक्टर द्वारा ऐसी किसी रेल कर्मचारी के पक्ष में की जाती है, जो गंभीर बीमारी या चोट के लिए इनसे इलाज करवा रहा था और उनकी राय में अपने मूल पद पर ड्यूटी फिर से शुरू करने के लिए फिट है लेकिन उस पद से संबंधित सभी कार्य करने के लिए फिट नहीं है.

Such recommendations are to be made by a Railway doctor in favour of an employee when, in his opinion, the Railway employee who had been under treatment for serious illness or injury is fit to resume duty in his original post but not fit to perform all the duties connected

with the post.

- 2. चिकित्सा अधिकारी (डी.एम.ओ. या उससे ऊपर के रैंक का) को सिफारिश करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात संबंधित कर्मचारी के विभागाध्यक्ष से यह आश्वस्थ करना होगा कि क्या कर्मचारी को उनके मूल पद में लाइट ड्यूटी देना संभव होगा जो रेलवे की कार्यप्रणाली के अनुकूल है.
  - The medical officer (of the rank of D.M.O. or above), before making the recommendation, should first ascertain from the competent authority, eg., the departmental superior of the employee concerned, whether it will be possible to provide the employee with such duty of light nature in his original post which will be compatible with Railway working
- 3. सक्षम प्राधिकारी से यह सुनने पर कि ऐसी अनुरोध को पूरा किया जा सकता है, रेलवे डॉक्टर इस अध्याय के अनुबंध XIX में दिए गए निर्धारित फॉर्म में लाइट कार्य या व्यवसाय की प्रकृति और निर्दिष्ट अविध के का उल्लेख करते हुए आवश्यक सिफारिश करेगा. ऐसी सिफारिश पहली बार में तीन महीने से अधिक अविध के लिए न हो जिसके बाद मामले की समीक्षा की जाए और किसी भी स्थिति में यह छह महीने की अविध से अधिक न हो.
  - On hearing from the competent authority that such a request can be complied with, the Railway doctor will make necessary recommendation in the prescribed form as given in annexure XIX to this chapter, specifying the nature of light work or occupation and the specified period for which it is recommended. Such a recommendation should not exceed a period of three months in the first instance after which the case should be reviewed and under no circumstances should it exceed a period of six months.
- 4. यदि सक्षम प्राधिकारी अस्थायी लाइट ड्यूटी या व्यवसाय में परिवर्तन प्रदान करने के लिए अक्षम समर्थता दर्शाता है, तो कर्मचारी को ड्यूटी के लिए फिट होने या विकोटीकृत होने तक बीमार सूची में रखा जाए. प्रतीक्षा की अविध छह माह से अधिक न हो.
  - If the competent authority indicates its inability to provide temporary light duty or change of occupation, the employee should be kept on sick list till he is fit for duty or is de-categorised. The period of waiting should not exceed six months.
- (बी) व्यवसाय में परिवर्तन के विकोटीकरण का प्रमाण पत्र: (1) यदि लाइट ड्यूटी सिफारिश प्रमाण पत्र के तहत दी गई छह महीने की अविध की समाप्ति के बाद भी रेलवे डॉक्टर द्वारा कर्मचारी को उसके मूल ड्यूटी के लिए चिकित्सा के आधार पर अनिफट लेकिन अन्य पदों पर सेवा के लिए अनिफट नहीं माना जाता है तो सक्षम चिकित्सा अधिकारी इस अध्याय के परिशिष्ट XX में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में उसी चिकित्सा कोटि या निचली कोटि में उपयुक्त स्थायी वैकल्पिक नियुक्ति के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगा.
- **(B)** Certificate of Decategorisation of Change of occupation: (1) If after the expiry of the period of six months granted under the certificate of recommendation of light duty, the employee is considered by the Railway doctor medically unfit for the duties of his original post, but not unfit for service on the other posts, the competent Medical Officer will issue the necessary in the prescribed form as given in the annexure XX to this chapter, for a suitable permanent alternate appointment either in the same medical category or in a lower category.

### टिप्पणी:

- (i) सिफारिश सामान्य प्रकृति की हो, किसी विशिष्ट कार्य का उल्लेख नहीं किया जाए.
- ii) विकोटीकरण/स्थायी वैंकल्पिक नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे सभी कर्मचारियों की जांच जे.ए. रैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाए.

#### Note:

- (i) Recommendations should be of a general nature, no specific job being mentioned.
- ii) All employees being considered for decategorisation / permanent alternate appointment shouldbe examined by a Medical Officer not below the rank of J.A. Grade.

iv. कर्मचारी की बीमारी का उस चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा जांच के बाद ही स्थायी प्रकृति की ऐसी कोई सिफारिश की जाए. विशेषज्ञ की अनुपलब्धता की स्थिति में मानक कन्सलटंट की राय प्राप्त की जाए और उसे रिकार्ड की जाए.

All such recommendations of permanent nature should be made only after the employee has been examined by a specialist in the field of the disease which the employee was suffering from. In the case of non-availability of a specialist, the opinion of the Honorary Consultant will be obtained and recorded.

(iv) जांच करने वाले चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश मंडल के प्रभारी सीएमएस/एमएस जो स्वीकारकर्ता प्राधिकारी है, को भेजी जाए.

The recommendation of the examining medical officer will be forwarded to the CMS/MS in charge of the Division, who will be the accepting authority.

562. चिकित्सा के आधार पर स्थानांतरण, स्थगन या स्थानांतरण रद्दकरण से संबंधित सिफारिश:- रेलवे डॉक्टर द्वारा ऐसी सिफारिश का पहल नहीं किया जाए. ऐसे अनुरोधों के लिए कर्मचारी अपने सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से आवेदन देगा, जो उसे रेलवे डॉक्टर को भेजेगा. ऐसी सिफारिश करने से पहले रेलवे डॉक्टर द्वारा मामले के सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार किया जाए, खासकर इस तथ्य पर कि क्या ऐसी सिफारिश कर्मचारी के स्वास्थ्य या उनके परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के हित में है और यह रेलवे की कार्यप्रणाली के अनुकूल है. स्थानांतरण स्थिगत करने की सिफारिश करते समय, रेलवे डॉक्टर को ऐसी सिफारिश की निश्चित अविध का उल्लेख करना होगा और इस अविध को न्यूनतम रखना होगा और किसी भी स्थिति में यह छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए.

Recommendation for transfer, postponement or cancellation of transfer of medical grounds:- The Railway doctor should not take initiative in making such recommendations. Application for such requests will be made by the employee through his competent authority, who will forward the same to the Railway doctor. Before making such recommendations, the Railway doctor should consider carefully all the aspects of the case specially of the fact whether such a recommendation is in the interest of the employee's health or the health of the family members and that it is compatible with the Railway working. When recommending postponement of transfer, the Railway doctor should state a definite period for which such a recommendation is made and keep the period to the minimum and in no case should it exceed six months.

नोट: स्थानांतरण के लिए सिफारिश करते समय, रेलवे डॉक्टर सामान्य प्रकृति का राय व्यक्त कर सकता है, उदाहरण के लिए उनकी उपयुक्तता या शुष्क जलवायु, ठंडी जलवायु, समुद्र के किनारे, यात्रा ड्यूटी या वाहनों से संबंधित काम आदि के बारे में. किसी विशेष स्टेशन या पद पर तैनाती के संबंध में सिफारिशें नहीं की जाए.

*Note:* When making such recommendations for transfer, the Railway doctor may express an opinion which should be of general nature, for example suitability or otherwise of dry climate, cold climate, sea side, touring duties or of working in connection with vehicles, etc. Recommendations regarding postings to a particular station or job must not be made.

## 563. बेहतर आवास हेतु रेलवे क्वार्टर के आवंटन से संबंधित सिफारिशें:-

रेलवे डॉक्टर किसी रेल कर्मचारी को बेहतर आवास की सुविधा प्रदान करने हेतु रेलवे बंगला/कार्टर आवंटित करने या बदलने के लिए सिफारिश कर सकता है:-

- i. जब उन्हें लगता है कि स्वयं रेल कर्मचारी या उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसके लिए उन्हें बड़े या स्वस्थ आवास की आवश्यकता है जिसकी व्यवस्था रेल कर्मचारी खुद नहीं कर सकता है, या
- ii. रोगी ऐसी किसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है और कर्मचारी का निवास किसी अस्पताल या स्वास्थ्य यूनिट के पास होना जरूरी है.

#### Recommendations for allotment of a Railway quarter for better accommodation:-

A Railway doctor may make recommendations for allotment of a Railway bungalow/quarter or a change for a better accommodation to a Railway employee:-

i. where he considers that either the railway employee himself of a member of his family is

- suffering from a disease which warrants bigger or healthier accommodation which the Railway employee cannot provide himself otherwise, or
- ii. Where the patient is subject to a disease which calls for immediate medical attention and the residence of the employee is desired to be near a hospital or health unit.
- **564. सिफारिशों का निपटान:-** सभी सिफारिशों का निपटान सक्षम प्राधिकारी के स्वविवेक से किया जाएगा और कर्मचारी को इसकी मांग करने का कोई अधिकार नहीं होगा और न ही रेल प्रशासन के लिए इसका अनुपालन अनिवार्य होगा.

**Disposal of recommendations**:- All recommendations will be dealt with by the competent authority at his discretion and will not in any way give the right to the employee to demand the same nor will it be obligatory on the Railway administration to comply with the same.

- 19. सीएमपी के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं होंगी. तथापि, वह आईआरएमएम में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रदाय खाते का संचलन कर सकता है. हालाँकि, ऐसे मामलों में नकद वाउचर पर प्राधिकृत रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया जाए. प्रस्ताव पर भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के बिना किसी भी नकद अग्रदाय खाते की प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी. The CMP will not have any financial powers. However, he / she may operate the imprest account in accordance with the guidelines contained in the IRMM. However, the cash vouchers in such cases shall be got countersigned by an authorized Railway Medical Officer. No cash imprest account shall be recouped unless the proposal is countersigned by an Indian Railway Medical Service Officer.
- 20. सीएमपी ग्रुप 'सी' रेलवे कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट पहल/समीक्षा/स्वीकार नहीं करेगा। हालाँकि, वह अनुरोध पर, कर्मचारियों की कार्य निष्पादन रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। The CMP shall not initiate / review / accept the annual confidential reports of Group 'C' railway employees. However, he / she shall, on request, prepare and present the performance report of the staff.
- 21. सीएमपी औजार और संयंत्रों के लिए कोई इंडेंट नहीं भेजेगा या उसे निरस्त/सिफारिश नहीं करेगा. The CMP shall not indent or condemn / recommend for condemnation any tools and plants.
- 22. चयनित डॉक्टर ऐसी कोई गतिविधि नहीं करेगा/उसमें शामिल नहीं होगा जो चिकित्सा विभाग/रेलवे के हित के विरुद्ध है और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसकी सेवाएं तुरंत समाप्त कर दी जाएंगी.

  The doctor selected should not perform/involve in any activities that would be considered against the interest of Medical Department/Railways and, if found, his/her services will be terminated immediately.

## आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करें आवेदन पत्र का प्रारूप

# Application form to download APPLICATION FORMAT

#### सेवा में,

महाप्रबंधक (का), दक्षिण मध्य रेलवे, रेल निलयम, सिकंदराबाद-500 071.

То

The General Manager (P), South Central Railway, Rail Nilayam, Secunderabad-500 071.

## जिस पद के लिए आवेदन किया गया है Post applied for:

- 1. नाम (बड़े अक्षरों में) Name (in BLOCK LETTERS) -
- 2. पिता/पति का नाम Father's/Husband's name -
- 3. डाक पता Postal address -

(टेलीफोन और मोबाइल नंबर सहित With telephone & mobile number)

उम्मीदवार का नवीनतम पासपोर्टसाइज फोटोग्राफ, राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित. Latest passportsize Photograph of Candidate, duly Attested by Gazetted Officer

4. निकटतम रेलवे स्टेशन

Nearest Railway Station -

जन्म तिथि (आंकडों में और शब्दों में)

Date of Birth (figure and words) -

6. कोटि जिससे वह संबंधित है- (क्या अजा, अजजा, अपिजा, साधारण से संबंधित है)

Category to which he/she belongs-(State whether SC, ST, OBC, Genl)

- 7. राष्ट्रीयता Nationality -
- क्या आप पूर्व-रेलवे कर्मचारी हैं?
  - (यदि हां, तो विवरण दें)

Are you an Ex-Railway employee

- (if yes, give details)

9. शैक्षिक/व्यावसायिक अर्हता Educational / professional qualifications:

प	रीक्षा	उत्तीर्ण होने का	मेडिकल कॉलेज/	प्रयासों की संख्या	अंकों का प्रतिशत
Exan	nination	वर्ष Year of	विश्वविद्यालय	No. Of attempts	Percentage of
		Passing	Medical		marks
		_	College/University		

10. पंजीकरण संख्या - मेडिकल काउंसिल और राज्य

Registration number of - Medical Council and State

- 11. अनुभव Experience -
- 12. पोस्टिंग स्टेशन का विकल्प
  - (वरीयता क्रम में) संलग्नक

Choice of posting of station

- (in the order of preference) Enclosures
- i. दो नवीनतम पासपोर्टसाइज फोटोग्राफ Two recent passport size photographs.
- ii. जन्मतिथि दर्शाने वाला प्रमाणपत्र (एसएसएलसी प्रमाणपत्र).

Certificate indicating the date of birth (SSLC Certificate).

- iii. एम.बी.बी.एस. डिग्री और उच्चतर चिकित्सा योग्यता की डिग्री प्रमाण पत्र, यदि कोई हो.
  - M.B.B.S. Degree and Degree Certificate of higher medical qualification, if any.
- iv. इंटर्नशिप प्रमाणपत्र Internship Certificate.
- v. पंजीकरण प्रमाणपत्र Registration Certificate.
- vi. निर्धारित प्रोफार्मा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछेडे जाति उम्मीदवारों के मामले में राज्य राजस्व अधिकारियों द्वारा समर्थन में जारी जाति के प्रमाण पत्र.

Certificate in support of caste, in case of SC/ST/OBC candidates issued by StateRevenue authorities in the prescribed proforma.

vii. अनुभव प्रमाण पत्र. Certificate of experience.

मैं, एततद्वारा घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में दि	
कथन मेरी संपूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं. मैं जानता हूं कि ऊ	पर दिए गए
विवरण या जानेकारी, मेरे नियोजन से पहले या बाद में किसीं भी चरण में झूठी या गलत पाए जा	
को गलत या विसंगत पाए जाने पर किसी सिविल या आपराधिक कानूनी कार्रवाई के बिना मेर्र	ो संविदा को
तुरंत समाप्त किया जा सकता है.  मैं जानता हूं कि मैं इस साक्षात्कार के लिए किसी भी टीए/डीए	के लिए पात्र
नहीं हूं.	
I,, hereby declare that all statements made	de in this
application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. Iunde	
in the event of any of the particulars or information given herein being found false or i	
in the event of misstatement or discrepancy in the particulars being detected at any stag	•
after my engagement, my contract is liable to be terminated forthwith independent of a	•
criminal legal action. I understand that Iam not eligible for any TA/DA for this intervi	ew.

स्थान Place: दिनांक Date:

> उम्मीदवार के हस्ताक्षर Signature of the candidate

सेवा में To,
फोटो Photo
भारत के राष्ट्रपति
The President of India
मैं, डॉ सुपुत्र रेलवे (जिसे इसके बाद सीएमपी कहा जाएगा) के साथ संविदा पर मेरे नियोजन से सहमत हूं और घोषणा करता हूं कि :-
I, Dr. son of being considered for engagement on contract with the Railways (hereinafter called CMP) hereby agree and declare:-
मुझे उक्त संविदा से संबंधित निबंधन एवं शर्तें प्राप्त हुए हैं. That I am in receipt of the terms and conditions of the said contract.
मैंने संविदा पर नियोजन से संबंधित निर्धारित निबंधनों और शर्तों को पढ़ लिया और स्पष्ट रूप से समझ लिया है
That I have read and clearly understood the said terms and conditions stipulated in connection with my engagement on contract.
मुझे उक्त निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत से तक की अवधि के लिए दक्षिण मध्य रेलवे पर सीएमपी के रूप में नियोजित किया जा रहा है. That I am being engaged as CMP on South Central Railway for a period fromto under the said terms and conditions.
मैं इससे भी सहमत हूं और घोषणा करता हूं कि संविदा को उपर्युक्त उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर या मेरे या रेलवे प्रशासन द्वारा उल्लिखित अवधि के बीच संविदा समाप्त करने की मांग की जाने पर, जैसा भी मामला हो, उक्त निबंधनों और शर्तों के अनुसार इससे संबंधित निर्धारित नोटिस देने के बाद समाप्त किया
जाएगा. I FURTHER AGREE AND DECLARE that the contract shall stand terminated on the expiry of the period mentioned above or, as the case may be, earlier in case it is sought to be terminated in between the above mentioned period either by myself or by the Railway Administration after giving the prescribed notice in this respect as stipulated in the said terms and conditions.
मैं इससे भी सहमत हूं और घोषणा करता हूं कि मैं संविदा की अवधि बढ़ाने या रेलवे में किसी प्रकार की निरंतरता या नियमितीकरण के लिए कोई दावा नहीं करूंगा.  I FURTHER AGREE AND DECLARE that I shall no claim whatsoever for extension of the period of contract or for any continuity or record rights in Pailways in any manner.
period of contract or for any continuity or regularization in Railways in any manner.  200 के दिन को हस्ताक्षरित और वितरित.
Signed and delivered on this day of 200 सीएमपी के हस्ताक्षर Signature of CMP

नाम Name\_

कार्य स्थल Place of working दिनांक Date	
1) साक्षी Witness	2) साक्षी Witness
हस्ताक्षर Signature	हस्ताक्षर Signature
दिनांक Date	दिनांक Date
पूरा नाम एवं पता Full Name and address	पूरा नाम एवं पता Full Name and address